

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
हुकम
मं

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य प्रारम्भ/बहिष्कार करने
से पत्रावली दिनांक 29/6/21 की पेश हो।

29/6/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लगे अभियान 2021
के मय गण पं. अग्रह में पेश हुई, विपक्षीयता के
सम्बन्ध में वाद प्रारम्भ होकर प्राप्त हुए जिले शाह
पर क्रिये शयै। पत्रवार हल्ला पत्रवारी द्वारा
मौका रिपोर्ट प्राप्त हुए जिले शाह पर क्रिये
प्राथमिकता प्राप्त पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय प्रदात हो लिखना जाकर शाह पर क्रिया
वापस पत्रावली रिपोर्ट सुमार होकर मन्वर
से कम है।

डॉ. पूज्य सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 233/20 प्रा.पत्र

1- धारणा 1/0 गौरीगढ़ विवादाधीन क्षेत्र तहसील मांडल

--प्रार्थी

1- श्री धारणा 1/0 गौरीगढ़ विवादाधीन क्षेत्र तहसील मांडल (कंपा)

--विपक्षीगण

(सिद्धांतिका-का.स.स.न.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 29.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर आवेदन किया कि ग्राम.....वेरा.....पटवार हल्कागौरीगढ़.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.205, 206.....कुल किता02.....रकबा.....0.70 हेक्टर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....29.12.20.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....वेरा.....पटवार हल्का.....गौरीगढ़.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.205, 206.....कुल किता ..02.....रकबा.....0.70 हेक्टर.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....सु.स.सि.स......को800/-.....रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्रों के संघ 01/10/21

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालन रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्रों के संघ 01/10/21